

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष—श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 416/2012
संस्थित दिनांक— 26.09.2012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—

आरक्षी केन्द्र—अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

.....**अभियोजन**

वि रू द्ध

आलोक पिता प्रकाशचंद बंसल,

उम्र 31 वर्ष, निवासी एम.जी.रोड अंजड़

.....**अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण द्वारा	— श्री एच.सी. बंसल अधिवक्ता ।

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 24/06/2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 238/2012 के आधार पर दिनांक 11.09.2012 को लगभग 11:45 बजे बंसल किराना के सामने, एम. जी. रोड अंजड़ पर लोगों से अंकों के आधार पर रुपये—पैसे की हारजीत का दाव लगाकर सट्टा पर्चियों पर अंक पर लिखते हुए पाये जाने का सार्वजनिक घूत अधिनियम की धारा 4(क) का अभियोग है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.2012 को प्र. आरक्षक निर्भयसिंह को दौराने कस्बा भ्रमण गांधी चौक अंजड़ पर मुखबीर से सूचना मिली कि बंसल किराना दुकान के सामने एक व्यक्ति सट्टा पर्चियों पर अंक लिख कर लोगो से पैसों से हारजीत कर रहा है। सूचना पर विश्वास कर पंचान देवेन्द्र और कालु को मुखबीर की सूचना से अवगत कराया एवं हमराह फोर्स को लेकर बताये स्थान पर पहुंचे तथा बंसल किराना दुकान की आड लेकर देखा तो एक व्यक्ति बंसल किराना दुकान की आड लेकर सट्टा पर्चियों पर अंक लिखकर पैसों से हारजीत कर रहा था, जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा, नाम पता पूछते उसने आलोक पिता प्रकाश, निवासी अंजड़ बताया, जिसके कब्जे से सट्टा उपकरण, छः सट्टा पर्चीया अंक लिखे एवं नगदी रुपये 450 मिले जो पंचों के समक्ष जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, थाने पर वापस आकर आरोपी के विरुद्ध थाने के अपराध क्र. 238/12 का दर्ज कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय श्री मसूद एहमद खान द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सार्वजनिक घूत अधिनियम की धारा 4(क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने

पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में प्रवेश कराये जाने पर साक्ष्य देना प्रकट किया, किंतु किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5- प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि -

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.09.2012 को लगभग 11:45 बजे बंसल किराना के सामने, एम.जी. रोड अंजड़ पर लोगों से अंकों के आधार पर रुपये-पैसे की हारजीत का दाव लगाकर सट्टा पर्चियों पर अंक पर लिखते हुए पाये गये?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

6- उक्त विचारणी प्रश्न के संबंध में एन.एस. मुजाल्दे (अ.सा.2) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। दिनांक 11.09.2012 को दिन के लगभग 11:45 बजे उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बंसल किराणा दुकान के पास सट्टा पर्ची लिखकर पैसों की हार जीत कर रहा है, तब उसने पंच साक्षी देवेन्द्र और कालु को बुलाकर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया और साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान किराणा दुकान के पास पहुंचा, वहां देखा तो एक व्यक्ति सट्टा पर्ची लिखकर लोगों से पैसों की हारजीत कर रहा है, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, सट्टा अंक लिखने वाले व्यक्ति पुलिस को देखकर मौके से भग गये थे, उक्त व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम अलोक पिता अशोक बंसल बताया, उसके कब्जे से सट्टा पर्ची-6, एक लिड पेन एवं नगदी रुपये 450 जप्त किये और साक्षियों के सक्षम विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 का बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कथन है कि जप्तशुदा सट्टा पर्ची आर्टिकल "ए" है, लिड पेन आर्टिकल "बी" है तथा जप्त रुपये 450 जिनमें 100 रुपये के 2 नोट, 50 रुपये 2 नोट, 20 रुपये 4 नोट तथा 10 रुपये 7 नोट थे, जो आर्टिकल "सी" है, साक्षी ने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 का बनाया है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कथन है कि जप्तशुदा माल एवं आरोपी को साथ लेकर थाने पर आया जहां पर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 238/2012 प्रदर्श पी 4 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसने साक्षी कालु, देवेन्द्र, प्रधान आरक्षक जगदीश कलमें एवं आरक्षक भारतसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

7- बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लिखी गई है और विवेचना भी उसके द्वारा की गई है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह जब थाने से गांव में भ्रमण के लिये निकला था उसका इंद्राज भी उसके द्वारा रोजनामंचा में किया गया था और वापस आया उसका भी इंद्राज थाने के रोजनामंचे में किया था, जो उसने पेश नहीं की

है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि पंच साक्षियों को तलब करने का पंचनामा नहीं बनाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि देवेन्द्र थाने का वाहन चलाता था और कालु जिले में होमगार्ड के पद पर कार्य करता था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जहां पंच साक्षियों को तलब किया था वहां पर कई दुकाने हैं और कई लोग आवागमन करते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि सट्टा कितने प्रकार का होता है उसे नहीं मालूम, कहां से खुलता है और कहां से बंद होता है इसकी जानकारी उसे नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा आर्टिकल ए की 6 पर्ची जप्त की गई उस पर्ची में कौन सा सट्टा है यह लिखा हुआ नहीं है तथा तारीख भी लिखी हुई नहीं है और किसी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आर्टिकल ए की पर्चियां आरोपी के पास नहीं थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा आसपास के लोगों को जप्ती के लिए नहीं बुलाया था और आसपास के लोगों के कथन भी नहीं लिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी की किराणा दुकान है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी से उसने किराना सामान उधार मांगा और आरोपी ने उसे उधार सामान नहीं देने पर उसके विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

8— देवेन्द्र चौहान (अ.सा.1) ने केवल प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श पी 2 पर ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को भी अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दि. 11.09.2012 को वह पुलिस थाना अंजड़ के प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह व आरक्षक जगदीश एवं भारत के साथ बंसल किराना दुकान के सामने पहुंचे थे जहां पर एक दुकान की आड़ में आरोपी सट्टा पर्चियों पर सट्टा अंक लिख रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 सट्टा पर्चियां, 1 पेन तथा नगदी 450 रुपये जप्त कर प्रदर्श पी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था। यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 3 का कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे जिन कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे उन कागजों को पढ़कर नहीं बताया था।

9— कालुसिंह (अ.सा.3) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है, वर्ष 2012 में उसे तथा साक्षी देवेन्द्र को थाना अंजड़ के प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह द्वारा गांधी चौक अंजड़ पर बुलवाया था तथा बताया था कि एम जी रोड किराना दुकान की आड़ में सट्टा चल रहा है तब वह, देवेन्द्र प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह एवं आरक्षक भारत किराना दुकान पर गये थे वहां पर एक व्यक्ति पर्ची पर हार जीत के लिए अंक लिख रहा था, तभी आरोपी से सट्टा अंक लिखी हुई पर्चियां 6 नग, पेन, रुपये 450 उसके कब्जे से प्रदर्श पी 1 के अनुसार जप्त किये थे, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को भी आर्टिकल ए, बी और सी की पहचान आरोपी के पास से जप्त वस्तुओं के रूप में की है। साक्षी ने आरोपी को गिरफ्तार करने के संबंध में भी कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह अंजड़ थाने में वर्ष 2009 से लेकर

2015 तक सैनिक के पद पर रहा है और थाने पर जब भी दबिश देने के लिए जाना होता था, वह साथ में जाता था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उन दिनों में देवेन्द्र अंजड़ थाने पर वाहन चलाता था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता तथा किराना दुकान किसकी है वह उसे नहीं पता। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वे पहुंचे उस समय किराना दुकान पर अकेला व्यक्ति था, वे लोग बाहर खड़े थे और दुकान का मालिक दुकान के अंदर था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह पुलिस में नौकरी करने के कारण आरोपी के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है। अभियोजन की ओर से किये गये पुनः परीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह आरोपी आलोक को जानता है और सट्टा पर्ची लिड पेन एवं रूपये आरोपी से जप्त हुये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये पुनः परीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी को उसने उसी दिन किराना दुकान पर देखा था, आरोपी के पिता का नाम क्या है उसे नहीं मालूम उसके बाद उसका आरोपी को देखने काम नहीं पड़ा था।

10— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षी पुलिस विभाग के हैं तथा देवेन्द्र (अ.सा.1) जो कि घटना के समय पुलिस की गाड़ी का ड्रायवर था ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। कालु (अ.सा.3) नगर सेना में सैनिक था। ऐसी स्थिति में वह भी अभियोजन में हिबतद्ध है। ऐसी स्थिति में उसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आरोपी के अधिवक्ता ने उसके समर्थन में न्यायदृष्टांत कन्वू एहमद खान म.प्र. राज्य 1970 एम.पी.एल.जे. 103 तथा न्याय दृष्टांत नूरमोहम्मद म.प्र. राज्य 1984 एम.पी. डब्ल्यू.एल. भाग-2 नोट 391 प्रस्तुत किये हैं, जिनमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि किस प्रकार के सट्टे लिखे जाते हैं और सट्टा किस प्रकार का होता है इस संबंध में स्पष्ट कथन नहीं होने से अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है।

11— यह सही है कि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षीगण पुलिस विभाग से हैं और कालुसिंह (अ.सा.3) तत्कालीन समय में थाना अंजड़ में नगर सैनिक के पद पर था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि थाने में जब दबिश देने जाना होता है तो वह पुलिस के साथ जाता था और देवेन्द्र (अ.सा.1) उस समय थाना अंजड़ पर वाहन चालक था। एन.एस. मुजाल्दे (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि सट्टा कितने प्रकार का होता है उसे नहीं मालूम और कहा से खुलता और बंद होता है उसे इसकी भी जानकारी नहीं है, उसके द्वारा जप्त किये गये आर्टिकल-ए पर्ची में कौन सा सट्टा है यह लिखा हुआ नहीं है तथा तारीख भी लिखी हुई नहीं है और किसी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी की किराना दुकान है। यहां तक कि साक्षी भ्रमण पर जाने और वापस आने के संबंध में रोजनामचे की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश तथा प्रमाणित नहीं की गई है।

12— ऐसी स्थिति में जब कि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षी अभियोजन में स्पष्ट हितबद्ध हैं और उसके बाद भी देवेन्द्र (अ.सा.1) ने आरोपी को पहचानने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी का यह स्पष्ट कथन नहीं है कि किस प्रकार का सट्टा आरोपी द्वारा लिखा अथवा संचालित किया जा

रहा था। जप्तीकर्ता अधिकारी को जप्ती के स्थान पर जाने और वापस आने के संबंध में रोजनामचे की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश और प्रमाणित नहीं कराई है तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर रुपये पैसों की हार जीत का दाव लगाकर सट्टा पर्ची के अंक लिख रहा था। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 4(क) का आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी आलोक पिता प्रकाशचंद बंसल, 31 वर्ष, निवासी एम.जी.रोड अंजड़ को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 4(क) के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

13— अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

14— अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

15— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति रुपये 450 नगदी आरोपी ने स्वयं के होना स्वीकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त नगद धन राशि रुपये 450 अपील अवधि पश्चात राजसात किये जाते हैं तथा सट्टा पर्ची, लीड पेन मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाए। अपील होने पर ममाननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.